

(भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक 29 जनवरी, 2009


अधिसूचना

जीएसआर सं०- दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नाजुल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 2(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा वर्ष 2008-09 के लिए दिल्ली के टिकरी कलाँ के प्लास्टिक बाजार के प्लॉटों का आबंटन पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दर पर निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है:-

क्र.सं.	प्रयोग	प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	गुणक	2008-09 के लिए प्रस्तावित पीडीआर
	ब्रेक इवेन रेट			8304.88
1	व्यावसायिक अल्प कारोबार	25-53.50	2.00	12614.00
2	व्यावसायिक अल्प कारोबार	124.00	2.40	15188.00
3	व्यावसायिक अल्प कारोबार	131.75	2.40	15188.00
4	गोदाम	300.00	2.40	15188.00
5	हल्के उद्योग	300.00	1.50	9482.00
6	हल्के उद्योग	495.00	1.75	11088.00

2. उपरोक्त दरों में प्रयोग और व्यवसाय शुल्क शामिल हैं।

(सं० जे-13036/5/2007-डीडीए)


(एन०टी० जोसेफ)
अवर सचिव (डीडी ए)
फोन - 23081476

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार, मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।

प्रति: निदेशक (लैंड कॉस्टिंग),
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
विकास सदन, नई दिल्ली- 110023